

सं० सं०- 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा. शशि रानी  
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
सेवा में,  
निदेशक,  
एस.एस. हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,  
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राजीव झा पिता-बुद्धि नाथ झा ग्राम-बभनगामा पो०-पहसारा बभनगामा थाना-नावकोठी जिला-बेगुसराय	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	रेणु देवी पति-सुभाष मंडल ग्राम-पो०-मटीया थाना-लक्ष्मीपुर जिला-जमुई	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	शशि कला देवी पति-अजनी कुमार ग्राम-खीरौना पो०+थाना-रहुई जिला-नालंदा	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	राजेन्द्र राय पिता-रामदेव राय ग्राम-महम्मदपुर चौराहा पो०-बेला थाना-दरियापुर जिला-सारण	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
5	हीरा लाल चौधरी पिता-स्व. भुदेव चौधरी ग्राम-चीलकावर पो०-मंझौनी, थाना-रजौन जिला-बांका	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।



6	नन्द लाल यादव पिता-सुकदेव यादव ग्राम-पो0-भलुका थाना-बरहट जिला-जमुई	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000 /-(चालीस हजार) स्वीकृत।
7	गीता देवी पति-नन्द किशोर सिंह ग्राम गोन्दर बीगहा पो0-रसीसा थाना-ओंगारी जिला-नालंदा	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,00,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,00,000 /-( चार लाख ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० ~~388020~~.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 5020 418 8262 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०एस० हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212980 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा. शशि रानी )

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक

ज्ञापांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...~~388020~~.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 06.07.16

ज्ञापांक 973(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21.11.16

प्रेषक

डा० शशि रानी  
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,  
पटना मेडिकल कालेज अस्पताल,  
पटना 800004।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.6.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मंजु देवी पति-रामजी यादव ग्राम-लक्ष्मीपुर पो०-मुरली चन्दवा थाना-उदाकिशुनगंज जिला-मधेपुरा	हिप रिपलेस्मेंट रोग	1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
2	सोहन साह पिता-किशोरी साह ग्राम+पो०-लगमा थाना-डुमरा जिला-सीतामढ़ी	हिप रिपलेस्मेंट रोग	1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
			कुल रु० 2,00,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 2,00,000/- ( दो लाख ) का क्रास चेक सं० 388018 ..... मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० शशि रानी )

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 06-07-16

ज्ञापांक 971 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21/7/16